

समाहरणालय, चतरा।
(राजस्व शाखा)

पत्रांक 1536/रा0

दिनांक 15.12.18.....

प्रेषक,

उपायुक्त,
चतरा।

सेवा में,

महाप्रबंधक,
उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत निगम,
टण्डवा।

विषय:— चतरा जिला के अंतर्गत प्रखंड टण्डवा के ग्राम—राहम एवं नईपारम में
गरही जलाशय निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक चतरा जिला के अंतर्गत प्रखंड टण्डवा के ग्राम—राहम एवं
नईपारम में गरही जलाशय निर्माण हेतु विहित प्रपत्र में अनापत्ति प्रमाण पत्र इस पत्र के साथ
संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाता है।

अनुलग्नक:— यथोक्त।

विश्वनाथभाजत,


उपायुक्त,
चतरा।

समाहरणालय, चतरा ।

(राजस्व शाखा)

सं० 1535.....

दिनांक 15.12.18

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0 सँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरुआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-चतरा, अंचल-टण्डवा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है:-

क्र०	अंचल	मौजा	थाना नं०	खाता नं०	प्लॉट नं०	कुल रकबा (ए० में)	भूमि का किस्म
1	2	3	4	5	6	7	8
1	टण्डवा	राहम	62	78	661	0.05	गैरमजरुआ खास जंगल—झाड़ी
					663	0.13	
					665	0.80	
					668 P	0.65	
					681	0.20	
					683	0.01	
					684	0.02	
					685	0.08	
					686	0.15	
					659	8.82	
					662	3.40	
					कुल:—	14.31	
2	टण्डवा	नईपारम	56	134	1302 P	11.00	
					कुल:—	25.31	

उपरोक्त भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है, उत्तरी कर्णपुरा सुपर ताप विद्युत निगम, टण्डवा को गरही जलाशय निर्माण हेतु सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर दी जाती है कि:-

- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय।
- पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरुआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा।
- गैर मजरुआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।


उपायुक्त,
चतरा।